भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3429

दिनांक 7 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आशा कार्यकर्ताओं की सेवा शर्तें

†3429. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में आशा कार्यकर्ताओं का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन उन्हें बिना किसी नियमित पारिश्रमिक के केवल सीमित यात्रा भत्ता ही मिलता है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में आशा सहायिकाओं को शामिल करने, नियमित मानदेय, सामाजिक सुरक्षा लाभ और सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का विचार उनकी सेवा शर्तों की समीक्षा करने और उचित पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी समय-सीमा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): 'जन स्वास्थ्य और अस्पताल' राज्य के विषय हैं, इसलिए जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्राथमिक जिम्मेदारी, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, तैनाती तथा वेतन/पारिश्रमिक शामिल हैं, स्वीकृत मानकों और दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) सरकारों की है।

तथापि, आशा कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नियुक्त की जाती हैं। भारत सरकार प्रतिवर्ष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएचएम) की योजनाओं की समीक्षा करती है। यह

समीक्षा उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी) के माध्यम से होने वाली चर्चाओं के आधार पर की जाती है। ऐसे विचार-विमर्श के आधार पर, सरकार कार्यवाही अभिलेख (आर ओ पी) के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। आरओपी का विवरण नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त किया जा सकता है।

https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

आशा कार्यकर्ता एनएचएम कार्यक्रमों के अंतर्गत चयनित प्रोत्साहन प्रावधानों के पात्र हैं। इनमें सहभागी अधिगम एवं कार्रवाई बैठकों के लिए प्रोत्साहन राशि शामिल है। भारत सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के पर्यवेक्षण दौरे के शुल्क के लिए प्रति दौरा ₹300 की राशि अनुमोदित की है।

आशाकर्मी और आशा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत कवर है, जिसके तहत बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर ₹2.00 लाख का अनुग्रह प्राप्त होता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत दुर्घटना से मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में ₹2.00 लाख तथा आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में ₹1.00 लाख का अनुग्रह प्रदान किया जाता है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) जिसके अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह ₹3,000/- की पेंशन का लाभ मिलता है; आशाकर्मी और आशा कार्यकर्ताओं के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों को आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत ₹5 लाख तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है।
